भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

(151)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.।

निगरानी–3979/2018/भोपाल/भू.रा. निगरानी कमांक............. /18

मो. शरीफ खान पुत्र श्री शकूर खान
आयु 60 वर्ष, निवासी– 1, सूरज पैलेश
एयरपोर्ट रोड, भोपाल म.प्र.। .... निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता

विरूद्ध

1– तारिक सुल्तान आयु वयस्क

2– आरिफ सुल्तान आयु वयस्क

3– सादिक सुल्तान आयु वयस्क
तीनो पुत्रगण श्री अबरार अहमद
तीनो निवासीगण– ग्राम बरखेड़ा बौंदर,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

4– सर्व साधारण .... रेस्पॉडेन्टगण/आवेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0।

निगरानीकर्ता की और से निम्न निवेदन है कि –

निगरानीकर्तागण माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत–1 तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 22/अ–3/2015–16 (तारिक सुल्तान व अन्य विरूद्ध सर्वसाधारण) में पारित आदेश दिनांक 08–05–2018 जो कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धाारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता दिनॉक 23/08/17 का निराकरण करते आवेदन निरस्त किया है से दुखी एवं क्षुब्द्ध होकर यह निगरानी जानकारी दिनांक से समयवधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

Mohd. Shariff Khan

....2....

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2018/3979

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	